WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-1 Issue-3
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(December 2024)

कराधान प्रणाली और उसका व्यवसाय पर प्रभाव: भारतीय परिप्रेक्ष्य

अतुल कुमार पांडेय
शोधार्थी

सारांश

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में कराधान प्रणाली (Taxation System) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कर सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है, जिसके माध्यम से आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, कृषि, उद्योग तथा सार्वजनिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में कराधान केवल राजस्व संग्रह का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, आय के पुनर्वितरण, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा सामाजिक न्याय की स्थापना का भी एक प्रभावी माध्यम है। इसलिए कराधान प्रणाली का व्यवसायों की लागत, लाभप्रदता, निवेश निर्णय, उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा दीर्घकालिक विकास पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भारत में प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) तथा अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) दोनों प्रकार की कर व्यवस्था लागू है। आयकर, कॉर्पोरेट कर, पूंजीगत लाभ कर, सीमा शुल्क तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारतीय कर प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। वर्ष 2017 में लागू GST ने अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर 'एक राष्ट्र – एक कर – एक बाजार' की अवधारणा को साकार किया, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में सरलता, कर पारदर्शिता तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी आई। वहीं दूसरी ओर अनुपालन (Compliance), रिटर्न दाखिल करने, ई-इनवॉइस, ई-वे बिल तथा डिजिटल कर प्रशासन जैसी व्यवस्थाओं ने व्यवसायों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), के समक्ष नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत कीं।

यह शोध पत्र भारतीय कराधान प्रणाली की संरचना, उद्देश्य, कानूनी आधार, व्यवसाय पर इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, GST सुधारों, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की भूमिका, कर प्रशासन, कर अनुपालन, डिजिटल कर व्यवस्था तथा भविष्य की चुनौतियों एवं सुधारों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि एक संतुलित, सरल,

पारदर्शी और निवेश-अनुकूल कर प्रणाली भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

बीज-शब्द

कराधान प्रणाली, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर (GST), कॉर्पोरेट कर, आयकर, कर अनुपालन, कर सुधार, व्यवसाय, भारतीय अर्थव्यवस्था।

1. प्रस्तावना

आधुनिक अर्थव्यवस्था में कराधान प्रणाली किसी भी राष्ट्र की वित्तीय नीति का आधार होती है। सरकार करों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती है और उसे सार्वजनिक सेवाओं, विकास परियोजनाओं तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय करती है। यदि कर प्रणाली संतुलित, पारदर्शी और सरल हो, तो यह व्यवसायों के विकास, निवेश वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करती है। इसके विपरीत अत्यधिक कर दरें, जटिल नियम और अनुपालन संबंधी कठिनाइयाँ व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत की कर प्रणाली समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। स्वतंत्रता के बाद अनेक कर सुधार लागू किए गए तथा उदारीकरण (1991) के पश्चात कर ढाँचे को अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेश-अनुकूल बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 2017 में लागू GST भारतीय कर सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर राष्ट्रीय बाजार को अधिक सुव्यवस्थित बनाया।

वर्तमान समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, वैश्वीकरण, स्टार्टअप संस्कृति और विदेशी निवेश के बढ़ते महत्व ने कराधान प्रणाली को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। इसलिए भारतीय व्यवसायों पर कराधान के प्रभाव का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

2. शोध के उद्देश्य

1. भारतीय कराधान प्रणाली की संरचना एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
2. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. व्यवसायों पर कराधान के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना।

4. GST के व्यापारिक प्रभावों का अध्ययन करना।

5. कर अनुपालन एवं डिजिटल कर प्रशासन की चुनौतियों का विश्लेषण करना।

6. भारतीय कर प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-विधि

यह शोध वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के स्रोत

प्राथमिक स्रोत

आयकर अधिनियम, 1961

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act)

वित्त अधिनियम

भारत सरकार के बजट दस्तावेज

द्वितीयक स्रोत

वित्त मंत्रालय की रिपोर्टें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

नीति आयोग

शोध पत्र, पुस्तकें एवं जर्नल

विश्व बैंक, IMF तथा OECD की रिपोर्टें

4. भारतीय कराधान प्रणाली का स्वरूप

भारत में कराधान प्रणाली को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है—

(क) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

आयकर (Income Tax)

कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax)

पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)

विशेषताएँ

कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो कर का भुगतान करता है।

आय एवं लाभ के आधार पर लगाया जाता है।

आय के पुनर्वितरण में सहायक होता है।

(ख) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

सीमा शुल्क (Custom Duty)

विशेषताएँ

कर का भार अंतिम उपभोक्ता वहन करता है।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है।

राजस्व संग्रह का महत्वपूर्ण स्रोत है।

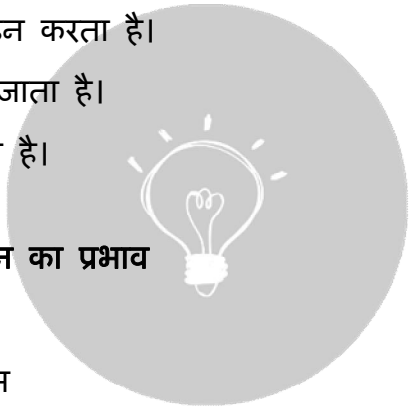

5. भारतीय व्यवसायों पर कराधान का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

(1) आधारभूत संरचना का विकास

कर राजस्व से सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली तथा डिजिटल अवसंरचना का विकास होता है, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ सुगम होती हैं।

(2) निवेश को प्रोत्साहन

कर छूट एवं प्रोत्साहन योजनाएँ उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती हैं।

(3) आर्थिक स्थिरता

संतुलित कर प्रणाली निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है।

(4) औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

GST और डिजिटल भुगतान से कर आधार विस्तृत हुआ है तथा औपचारिक व्यवसायों को बढ़ावा मिला है।

नकारात्मक प्रभाव

(1) उच्च अनुपालन लागत

रिटर्न दाखिल करना, लेखांकन, ऑडिट और कर सलाह की लागत छोटे व्यवसायों के लिए चुनौती है।

(2) नकदी प्रवाह पर प्रभाव

इनपुट टैक्स क्रेडिट या रिफंड में विलंब से कार्यशील पूंजी प्रभावित हो सकती है।

(3) जटिल नियम

बार-बार नियमों में परिवर्तन व्यवसायों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।

(4) प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव

उच्च कर भार से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।

6. वस्तु एवं सेवा कर (GST) और व्यवसाय

GST ने भारतीय कर प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए हैं। प्रमुख लाभ

एकीकृत राष्ट्रीय बाजार

करों की दोहरी वसूली में कमी

इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा

कर पारदर्शिता

लॉजिस्टिक लागत में कमी

डिजिटल कर प्रशासन

प्रमुख चुनौतियाँ

बार-बार अनुपालन

तकनीकी समस्याएँ

MSMEs पर अतिरिक्त बोझ

रिफंड में विलंब

वर्गीकरण संबंधी विवाद

7. कराधान और MSMEs

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

प्रभाव

सीमित संसाधनों के कारण अनुपालन कठिन

कर परामर्श की लागत अधिक

GST पंजीकरण एवं रिटर्न संबंधी चुनौतियाँ

सरकारी प्रोत्साहनों से विकास की संभावनाएँ

8. डिजिटल कर प्रशासन

भारत ने कर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं—

ई-फाइलिंग

ई-इनवॉइस

ई-वे बिल

फेसलेस असेसमेंट

ऑनलाइन कर भुगतान

डिजिटल ऑडिट

इनसे पारदर्शिता, दक्षता और कर संग्रह में वृद्धि हुई है।

9. भारतीय कर प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ

कर कानूनों की जटिलता

बार-बार संशोधन

कर विवादों की अधिक संख्या

अनुपालन लागत

कर चोरी एवं कर अपवंचन

डिजिटल अर्थव्यवस्था का कराधान

वैश्विक कर प्रतिस्पर्धा

10. सुधार हेतु सुझाव

1. कर कानूनों को सरल एवं स्थिर बनाया जाए।
2. MSMEs के लिए अनुपालन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए।
3. GST रिफंड प्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाया जाए।
4. कर विवादों के त्वरित समाधान हेतु विशेष तंत्र विकसित किया जाए।
5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कर प्रशासन को बढ़ावा दिया जाए।
6. करदाताओं के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
7. निवेश-अनुकूल और पूर्वानुमेय (Predictable) कर नीति अपनाई जाए।

11. भारतीय अर्थव्यवस्था में कराधान की भूमिका

राजस्व संग्रह
सार्वजनिक व्यय का वित्तपोषण
सामाजिक न्याय
आर्थिक असमानता में कमी
निवेश एवं रोजगार को प्रोत्साहन
औद्योगिक विकास
सतत आर्थिक विकास

निष्कर्ष

भारतीय कराधान प्रणाली देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो राजस्व संग्रह के साथ-साथ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संतुलित ढाँचा सरकार को विकास योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि व्यवसायों के लिए एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली निवेश, उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है।

GST जैसे व्यापक कर सुधारों ने भारतीय व्यापारिक वातावरण को अधिक एकीकृत, पारदर्शी और डिजिटल बनाया है। इसके बावजूद अनुपालन संबंधी जटिलताएँ, कर विवाद, MSMEs

पर अनुपालन का भार तथा वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

भविष्य में एक सरल, स्थिर, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम कराधान प्रणाली भारतीय व्यवसायों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा "विकसित भारत" के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए कर सुधारों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए करदाताओं और सरकार के बीच विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. आयकर अधिनियम, 1961।
2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act)।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।
4. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), वार्षिक रिपोर्ट।
5. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), वार्षिक रिपोर्ट।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), Report on Currency and Finance।
7. नीति आयोग, भारत सरकार।
8. OECD. Tax Policy Reforms.
9. World Bank. Doing Business Reports (ऐतिहासिक संस्करण)
10. IMF. Fiscal Monitor।
11. Singhania, V.K. & Singhania, M. Direct Taxes Law and Practice.
12. Datey, V.S. GST Ready Reckoner.
13. ICAI. Background Material on GST.
14. विभिन्न केंद्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार)